आज शनिवार ११ अगस्त, २०१८ सौर २६ श्रावण सं. २०७५ वि.

सुभाषित जो किसीको भयभीत नहीं करते, चपल नहीं होते, क्रोधग्रस्त नहीं होते, सन्मार्गपर चलनेवाले हैं तथा अहिंसामें आस्था रखते हैं, ऐसे ही मनुष्योंको सज्जन कहा जाता है। ❑ महाभारत

असहमति का रोड़ा

तीन तलाक विधेयकपर अन्ततः वही हुआ, जिसकी उम्मीद थी। इस संशोधन विधेयकको केन्द्रीय मंत्रिमण्डलकी स्वीकृति मिलनेके बावजूद मानसून सत्रके अन्तिम दिन शुक्रवारको इसे राज्यसभामें प्रस्तुत नहीं किया जा सका। विधेयकपर सहमति नहीं बन पायी और सदनमें भारी शोरशराबे और गतिरोधके कारण अब इसे शीतकालीन सत्रके लिए टाल दिया गया। सभापति वेंकैया नायडूको यह कहना पड़ा कि विधेयकपर सदनमें एकता नहीं है इसलिए इसे आज प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलने एक दिन पूर्व ही संशोधनोंको स्वीकृति दी थी लेकिन इस विधेयकके समर्थन और विरोधकी राजनीतिके कारण इसे टालनेके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचा था। वैसे केन्द्र सरकारके पास अध्यादेश लानेका विकल्प खुला है और सरकार इसे ला भी सकती है लेकिन यदि राज्यसभामें इसे पारित किया जाता तो वह ज्यादा श्रेयस्कर होता। इसके लिए मानसून सत्र एक दिनके लिए बढ़ाया जा सकता था। विधेयकमें जो संशोधन किये गये हैं वह उचित ही हैं। संशोधित विधेयकमें दोषीको जमानत देनेका अधिकार मजिस्ट्रेटके पास होगा और न्यायालयकी अनुमतिसे समझौतेका भी प्रावधान रखा गया है। यह प्रकरण अत्यन्त ही संवेदनशील है। सरकार इसे पारित करना चाहती थी। शुक्रवारको प्रातः भारतीय जनता पार्टीके वरिष्ठ नेताओंकी बैठक हुई, जिसमें सभी पहलुओंपर मंथन किया गया। विकल्पोंपर भी चर्चा हुई। राफेल सौदेको लेकर विपक्षके शोरशराबेके कारण सदनका नजारा ही बदल गया। कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधीने कहा कि तीन तलाक विधेयकपर कांग्रेसका रुख एकदम स्पष्ट है लेकिन राफेल सौदेके सवालपर विपक्षने एकजुटता दिखायी और संसद परिसरमें सोनिया गांधीके नेतृत्वमें प्रदर्शन भी हुआ। तीन तलाक संशोधन विधेयकपर अब आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। सत्ता और विपक्ष अपनी-अपनी दलीलोंके साथ सियासत कर रहे हैं। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं है। इस प्रकरणपर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनानेकी आवश्यकता है। जिन नये प्रावधानोंको जोड़ा गया है, उनसे कुछ भ्रांतियों और आशंकाओंके समाधानका मार्ग प्रशस्त हुआ है, अब देखना है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है।

कानून का दुरुपयोग गलत

आखिरकार दलितोंसे जुड़े मामलेमें तत्काल गिरफ्तारीपर रोक लगानेवाले सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेको संसदके माध्यमसे पलट दिया गया। सर्वोच्च न्यायालयने कानूनके दुरुपयोगको देखते हुए तत्काल गिरफ्तारीपर रोक लगा दी थी। साथ ही इस कानूनके तहत जांचके बाद एफआईआर दर्ज करने और एसएसपी स्तरके अधिकारीकी अनुमतिके बाद ही गिरफ्तारीका आदेश दिया था। शीर्ष न्यायालयके फैसलेके बाद दलित संघटनोंके उग्र आन्दोलन और सहयोगियोंके बढ़ते दबावको देखते हुए सरकारने कानूनको पुराना स्वरूप प्रदान करनेका मन बना लिया था। एससी-एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक २०१८ को गुरुवारको राज्यसभासे भी मंजूरी मिल गयी। लोकसभामें यह पहले ही पारित हो चुका है। संशोधन विधेयकको कमसे कम १५ राज्योंकी विधानसभासे मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद राष्ट्रपतिके हस्ताक्षरसे एससी-एसटी ऐक्टका पुराना कानून देशमें लागू हो जायगा। संशोधन विधेयकके लागू होनेके बाद न्यायालयकी ओरसे इस कानूनमें किये गये बदलाव स्वतः समाप्त हो जायंगे। इस कानूनके तहत अब फिर किसी दलितकी शिकायतपर आरोपीकी तत्काल गिरफ्तारी की जा सकेगी और गिरफ्तारीके लिए उसे किसीकी अनुमति भी नहीं लेनी होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारितामंत्री थावर चंद गहलोतने राज्यसभामें संशोधन विधेयक २०१८ पेश करते हुए कहा है कि इससे दलितों और आदिवासियोंके हितोंकी रक्षा होगी। विधेयकमें विशेष आदलतोंकी स्थापनाका प्रावधान किया गया है। १४ राज्योंमें १९५ विशेष अदालतें गठित भी कर दी गयी हैं। शीर्ष न्यायालयने कहा है कि एससी-एसटी ऐक्टके तहत प्रथम दृष्टया केस नहीं है तो आरोपीको जमानत दी जानी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कानून जनताके हितके लिए बनता है। इसलिए सरकारको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे इसका कोई दुरुपयोग न कर सके।

लोक संवाद

खून-पसीने की कमाई

महोदय,- पराये पैसे पानेके लिए व्यक्ति हाड़तोड़ मेहनत करता है। मानसिक श्रम करता है। अपने कमाये पैसेको वह बर्बाद होते कैसे देख सकता है। अनेक लोगोंकी निगाह दूसरेके पैसेपर रहती है। वह दूसरेके पैसेकी कद्र करना नहीं जाते। उसके पैसेको चोरीका समझते हैं। सरकार भी ऐसे लोगोंके पैसे निकालनेको आतुर दिखती है। पेपरमें पढ़नेको मिलता है फला व्यापारीके यहां अवैध सम्पत्ति मिली। यह भी उसकी संचित सम्पत्ति है। जिसे सरकार आसानीसे अपना बना लेती है। पुराने मालपर ऐश करनेवाले नेता, अफसरशाही आदि हैं। लोगों द्वारा चुनी सरकारको आम लोग ही दिखते हैं जिसकी कमाईपर वह ऐश करते हैं। प्रत्येक व्यक्तिके खूनपसीनेकी कमाई होती है। दूसरे लोग उसे हरामका न समझे। -दिलीप गुप्त, बरेली।

जातीय समीकरण की राजनीति

राहुल गांधीने प्रधान मंत्री पदका दावातक छोड़नेका इशारा दे दिया है, ममता बनर्जी सबको एक झंडे तले लानेके लिए प्रयासरत हैं और अरविंद केजरीवालतकको इस गठबंधनमें शामिल किया जा सकता है। ऐसेमें यह आवश्यक था कि दलित-मुस्लिम गठजोड़को तोड़ा जाय।

❑ पी.के. खुराना

भाजपा और दक्षिण भारतके कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दलोंको छोड़ दें तो लगभग हर राजनीतिक दलने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम और ईसाई समाजको अपने वोट बैंकके रूपमें प्रयोग किया। इससे निश्चय ही सवर्ण हिंदुओंमें रोष था और वह भारतवर्षमें स्वयंको उपेक्षित मान रहे थे। भाजपाने हालांकि घोषित रूपसे कभी भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अथवा पिछड़े वर्गको हिंदू समाजसे बाहर नहीं माना, लेकिन तो भी इसकी बहुसंख्या सवर्ण हिंदुओंकी है। व्यापारी वर्ग और सवर्ण हिंदू, भाजपाके वोट बैंक रहे हैं और राम मंदिरका मुद्दा उठाकर भाजपा इसी वर्गकी भावनाओंको पोषित करती रही है। यही कारण है कि हिंदू समाज यह उम्मीद लगाये बैठा था कि भाजपा सत्तामें आयी तो धारा ३७० समाप्त होगी, मुस्लिम समाजका तुष्टीकरण बंद होगा, राम मंदिर बनेगा और आरक्षण हटेगा। जी हां, हिंदू समाजके इस वर्गको यह भरोसा था कि आरक्षण भी हटेगा। यह चुनावका वर्ष है। भाजपा फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। वह अपना हर मोहरा ठीकसे चलना चाहती है। धर्म, विकास आदि चुनावी बातें हैं। मुद्दा यह है कि अधिकसे अधिक लोगोंको खासकर समाजके संघटित वर्गोंको अपना वोट बैंक कैसे बनाया जाय। उत्तर प्रदेशके हालिया चुनावोंकी हारसे मोदी-शाहने बड़ा सबक लिया है।

पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाजके गठजोड़ने मोदीकी हर तिकड़मको पटकनी दे दी और मुख्य मंत्री तथा उपमुख्य मंत्रीके चुनाव क्षेत्रमें भी भाजपाको धूल चाटनी पड़ी। यह सिर्फ हार नहीं थी, घोर अपमान भी था। परन्तु मोदी-शाहकी जोड़ी राजनीतिज्ञ ही नहीं, खांटी कूटनीतिज्ञ भी है। दोनोंने समझ लिया कि मायावती-अखिलेशके गठजोड़ने ही उनकी हवा निकाल दी, अब तो सभी विपक्षी दल एक हो गये हैं, राहुल गांधीने प्रधान मंत्री पदका दावातक छोड़नेका इशारा दे दिया है, ममता बनर्जी सबको एक झंडे तले लानेके लिए प्रयासरत हैं और अरविंद केजरीवालतकको इस गठबंधनमें शामिल किया जा सकता है। ऐसेमें यह आवश्यक था कि दलित-मुस्लिम गठजोड़को तोड़ा जाय। सन् २०११ की जनगणनाके अनुसार देशमें अनुसूचित जातियोंकी जनसंख्या १६.६ प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियोंकी संख्या ८.६ प्रतिशत और मंडल आयोगके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्गकी जनसंख्या ५२ प्रतिशत है। इस प्रकार देशका हर चौथा नागरिक, यानी कुल जनसंख्याका २५ प्रतिशत भाग दलितकी श्रेणीमें आ जाता है। मुस्लिम समाजकी जनसंख्या १४.२ प्रतिशत है। दलित-मुस्लिम गठजोड़ ४० प्रतिशत मतदाताओंका ऐसा सघन संघटन है, जो भाजपाको हरानेके लिए काफी है। मोदी-शाहकी चिंता यहींसे शुरू होती है। भाजपाके हालिया तीनों फैसले इसी चिंताका प्रमाण हैं। भाजपाने एससी-एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्टको फिरसे मूल स्वरूपमें लानेके लिए कानून बनानेकी घोषणा की है। यह एक विशेष कानून है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, यानी आईपीसीके मुताबिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंके खिलाफ जातिके आधारपर होनेवाले अपराधोंमें तत्काल मुकदमा दायर होने और तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानतके निषेधका प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालयने इसी वर्ष २० मार्चको इन तीनों प्रावधानोंको निरस्त कर दिया था, लेकिन अब संविधानमें संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेको पलट दिया जायगा। आरक्षणको लेकर सवर्ण हिंदुओंमें रोष था ही, प्रमोशनमें भी आरक्षण तो इस वर्गकी बर्दाश्तके बाहर था, लेकिन अब सरकार सर्वोच्च न्यायालयमें प्रमोशनमें आरक्षणकी वकालत कर रही है। मोदी सरकारने इससे संबंधित संविधानके अनुच्छेद १६(४) की वकालतका निर्णय लिया है। एससी-एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट तथा प्रमोशनमें आरक्षणके साथ मोदी सरकारका तीसरा बड़ा कदम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगको संवैधानिक दर्जा देनेका है। सरकारने संसदसे यह कानून पास करवा लिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग संविधानके तहत बने थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग संविधानके तहत न होकर एक सरकारी आदेशसे गठित हुआ था, इसे सिर्फ पिछड़ी जातियोंकी सूची बनाने और सुधारके लिए सिफारिश करनेका अधिकार था। नया आयोग अब पिछड़े वर्गोंके विकासके लिए भी उपाय सुझायगा, उनके विकासपर नजर रखेगा और इन जातियोंकी शिकायतोंकी सुनवाई भी करेगा।

मायावती और अखिलेश यादवके एक साथ आ जानेसे दलित-मुस्लिम गठजोड़ने आकार ले लिया था और भाजपाको हारका अपमान सहना पड़ा था। भाजपा जानबूझकर मुस्लिम एवं ईसाई समाजसे दूर रहना चाहती है, क्योंकि इससे हिंदुओंको संतोष रहता है कि भाजपा उनकी अपनी पार्टी है। यदि हिंदुओंमेंसे दलित छिटक जायं और मुस्लिम समाजके साथ जा मिलें तो वोट बैंककी सेंध भाजपाको हरानेके लिए काफी है। मुस्लिम समाजकी नाराजगीसे भाजपाको लाभ होता है, लेकिन दलित समाजके भी नाराज होकर उनके साथ जा मिलनेसे भाजपाके वोट बैंकका एक बड़ा हिस्सा ही टूट जाता है। भाजपा यह खतरा दोबारा मोल नहीं लेना चाहती। इसलिए मोदी-शाहने सवर्णोंकी नाराजगीका खतरा मोल लेकर भी दलितोंको खुश करनेका प्रयास किया है। उन्हें विश्वास है कि वह सवर्ण हिंदुओंको मना लेंगे, क्योंकि विपक्षमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो हिंदुओंका एकछत्र नेता बन सके। हिंदू यूं भी सॉफ्ट या नरम माने जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं, उन्हें मनाना आसान है। इसलिए इतना-सा जोखिम लेना जरूरी था, क्योंकि यह खतरेकी हदोंको पार नहीं करता। इसके विपरीत मुस्लिम समाजका विरोध भाजपाके लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे हिंदुओंका गठजोड़ पक्का होता है।

मोदी-शाहने सवर्णोंकी नाराजगीका खतरा मोल लेकर भी दलितोंको खुश करनेका प्रयास किया है। उन्हें विश्वास है कि वह सवर्ण हिंदुओंको मना लेंगे, क्योंकि विपक्षमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो हिंदुओंका एकछत्र नेता बन सके। हिंदू यूं भी नरम माने जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं, उन्हें मनाना आसान है। इसलिए इतना-सा जोखिम लेना जरूरी था, क्योंकि यह खतरेकी हदोंको पार नहीं करता। इसके विपरीत मुस्लिम समाजका विरोध भाजपाके लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे हिंदुओंका गठजोड़ पक्का होता है।

पिछले कई महीनोंसे भाजपा ही नहीं, खुद मोदीने भी विकासकी बात नहीं की है, वह समझ चुके हैं कि उनके विकासकी हवा पहले ही निकल चुकी है। लगभग हर भाजपा मुख्य मंत्रीके खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर था, जो अब भी जारी है। हिंदू एकताके बिना वोट नहीं मिल सकते और हिंदुओंकी बहुसंख्यावाले समाजमें दलितोंका प्रतिशत इतना ऊंचा है कि उसकी उपेक्षा संभव नहीं है। यही कारण है कि मोदी-शाहकी जोड़ीने यह जोखिम लिया है। यह एक सोचा-समझा जोखिम है। सोशल मीडियापर सवर्ण हिंदुओंकी नाराजगीको वह खतरा नहीं मानते। हिंदू समाजको कुछ महापुरुषोंकी जयंती, फोटो, मूर्ति आदि प्रतीकोंसे भी संतुष्ट किया जा सकता है तो फिर ज्यादा प्रयत्नकी क्या आवश्यकता है। वोटोंकी खातिर अब मोदी मंडलीकृत हो गये हैं और विकास गया भाड़में!

कांग्रेस की गठबंधन नीति

कांग्रेसने यह मानकर ठीक ही किया कि २०१९ के आम चुनावमें मोदीको वह अकेले दमपर नहीं हरा सकती। इसके लिए विभिन्न राज्योंमें क्षेत्रीय दलोंसे गठबंधन करना जरूरी है।

❑ एन. जोशी

राहुल गांधीके कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालनेके बाद हुई पहली कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकका यह स्वर कि 'कांग्रेस अकेले दमपर सत्तामें नहीं आ सकती', बहुत महत्वपूर्ण कहा जाना चाहिए। आज अत्यंत सीमित सांसद संख्याके बावजूद कांग्रेस अखिल भारतीय उपस्थितिवाली पार्टी है। कई राज्योंमें वह भाजपासे सीधे मुकाबलेवाला दल है। क्षेत्रीय दलोंको साथ लेकर वह भाजपाके विरुद्ध राष्ट्रीय गठबंधन बना और चला सकती है। साल २००४ से लेकर २०१४ तक संप्रग उसीके कारण चला। कांग्रेस आगे भी ऐसा कर सकती है। यह सिर्फ संभावना है। राहुल गांधीके लिए पहली चुनौती यहींसे शुरू होती है। परस्पर विरोधी हितों और महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय दलोंके नेताओंको एक मंचपर लाना आसान नहीं है। कई राज्योंमें क्षेत्रीय दलोंका कांग्रेससे टकराव है। कई दलोंका भाजपासे कांग्रेस सरीखा तीखा विरोध नहीं है। भाजपा विरोधी राष्ट्रीय गठबंधन बनानेके लिए राहुलको वहां सहयोगकी कीमत अपनी जमीन छोड़कर चुकानी पड़ेगी। वह किस-किसके लिए कितनी जगह खाली करेंगे। फिर स्वयं कांग्रेसके लिए कितना स्थान बचा रहेगा, जबकि इस समय उसे अपने पुनरुत्थानके लिए खुद भी संघर्ष करना है। अब जबकि सोनिया गांधी नेपथ्यमें हैं, अत्यंत महत्वाकांक्षी चंद क्षेत्रीय नेता क्या राहुल गांधीका नेतृत्व स्वीकारनेको सहज तैयार हो जायेंगे। कांग्रेस कार्य समितिके फैसलेपर देवगौड़ाकी सहमतिको छोड़कर सभी क्षेत्रीय नेता मौन हैं। ममता बनर्जीने पहले ही भाजपा विरोधी 'फेडरल फ्रंट' की तैयारीका ऐलान कर दिया है। संभावना है कि इसमें वह कांग्रेसको भी शामिल करेंगी, लेकिन अपनी पहलकी बागडोर राहुलको क्यों थमा देंगी। तेलंगानाके चंद्रशेखर रावकी तरह चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय भूमिकामें आनेके संकेत दिये हैं। नवीन पटनायक भाजपा और कांग्रेससे बराबर दूरी बनाये रखनेकी रणनीतिपर चल रहे हैं।

बिहारमें राजदके छोटे भागीदारके रूपमें उनकी दोस्ती चल जायेगी, लेकिन उत्तर प्रदेशमें मायावती और अखिलेश उन्हें कितनी जगह देंगे। सपा-बसपा दोनों मिलकर भाजपाको हरानेकी स्थितिमें हैं तो वह कांग्रेसको शामिल करेंगे भी या नहीं। करेंगे तो दूसरे राज्योंमें उसकी कितनी बड़ी कीमत मांगेंगे। यानी क्षत्रपोंके अलग-अलग राजनीतिक स्वार्थ हैं। कांग्रेसके साथ कोई रियायत वह नहीं करनेवाले। राहुलकी परीक्षा यह है कि उन्हें कांग्रेसको खड़ा करना है और गठबंधन भी बनाना है। यह डगर सचमुच फिसलन भरी है। पिछले एक सालमें राहुलने अपनेको नरेंद्र मोदीसे सीधे मुकाबलेके लिए तैयार किया है। भाजपासे ज्यादा क्षेत्रीय दलोंके लिए स्पष्ट संदेश है कि २०१९ में भाजपाको रोकना है तो कांग्रेस ही उस मोर्चेकी धुरी बन सकती है और राहुल उसके स्वाभाविक नेता हैं। सवाल है कि क्षेत्रीय दल इस संदेशको कितना ग्रहण कर रहे हैं। भाजपा इस खतरेको अच्छी तरह पहचानती है। इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार न केवल कांग्रेसपर हमलावर हैं, बल्कि क्षेत्रीय दलोंको सावधान करते रहते हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलोंको छलती रही है और आगे भी ऐसा करेगी। वह क्यों चाहेगी कि कांग्रेसके नेतृत्वमें उसके विरुद्ध कोई गठबंधन बने। गठबंधनकी राहुलकी राह बहुत कुछ निर्भर करेगी वर्षांतमें होनेवाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़के विधानसभा चुनाव नतीजोंपर। यदि कांग्रेस वहां भाजपासे सत्ता छीन पाती है तो उसके लिए २०१९ की राह ही नहीं, क्षेत्रीय दलोंका नेतृत्व पाना भी आसान हो जायेगा। मोदीके विरुद्ध राहुलकी दूसरी बड़ी तैयारी चुनावी मुद्दे चुननेमें दिख रही है। यह महत्वपूर्ण होगा कि मोदी सरकारके खिलाफ वह क्या-क्या मुद्दे लेकर जनताके बीच जाते हैं।

साल २०१४ की तुलनामें लोकप्रियता कम होनेके बाद भी मोदी चुनाव जिताऊ नेता बने हुए हैं। जनताका एक बड़ा वर्ग उनसे निराश नहीं हुआ है। जो विफलताएं हैं भी, उनपर आक्रामक हिंदुत्वका भाजपा-संघका एजेंडा हलका नशा-सा तारी है। इसलिए गुजरात चुनावके समय राहुल गांधीने उदार हिंदुत्वका जो चोला पहना था, वह उतारा नहीं है, बल्कि उन्होंने इधर लगातार यह दिखानेकी कोशिश की है कि कांग्रेसको भी हिंदुत्वसे प्रेम है, किंतु किसीके प्रति नफरत भरा नहीं। अविश्वास प्रस्तावपर अपने धारदार भाषणमें जब वह मोदीको धन्यवाद देते हैं कि 'आपने मुझे हिंदू होनेका मतलब समझाया, आपने मुझे कांग्रेस होनेका मतलब समझाया', तब वह जनताको सायाश यही संदेश दे रहे थे। इसीके बाद वह जगह-जगह नफरतमें मारे जा रहे लोगोंकी चर्चा करते हैं, सबसे मुहब्बत करने और स्वयं नरेंद्र मोदीसे भी नफरत न करनेकी बात कहते हुए उनके गले लग जाते हैं। इसमें चाहे जितनी नाटकीयता देखी जाये चाहे जितना वितंडा खड़ा किया जाये, असलमें यह मोदीके खिलाफ एक राष्ट्रीय विमर्श चुननेका राहुलका योजनाबद्ध प्रयास था। इसमें उग्र हिंदुत्व और नफरतकी राजनीतिके मुकाबले बहुलतावादी भारतीय संस्कृतिका मुद्दा जनताके सामने रखनेका प्रयास दिखायी देता है। वह कितना प्रभावी होगा, यह अलग बात है। राहुलको कांग्रेसकी बागडोर ऐसे समय मिली है, जब पार्टी विपक्षमें और सबसे कमजोर हालतमें है, जबकि मुकाबलेमें ताकतवर नेता तथा सत्तारूढ़ दल है। यह विपरीत स्थितियां उनकी राजनीति और नेतृत्व कौशलके लिए बड़ा अवसर भी बन सकती हैं। कांग्रेसमें दूसरे नंबरकी हैसियतसे वह एक दशकसे ज्यादा गुजार ही चुके हैं। अब परीक्षाका समय है। उनके लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेसकी जड़ें अखिल भारतीय और गहरी हैं। भाजपा देशभरमें चाहे जितनी छायी दिख रही हो, उसकी अखिल भारतीयता अपेक्षाकृत नयी है। अनुकूल हवा-पानी पाते ही कांग्रेसी जड़ोंको पनपनेमें देर नहीं लगेगी। यह अनुकूलता भाजपाके अपने अंतर्विरोधोंसे क्षेत्रीय दलोंसे गठबंधनकी रणनीतिसे और राहुलकी अबतककी कांग्रेस-दीक्षासे संभव हो सकती है। कांग्रेसको लगभग खत्म कर चुकनेका दावा करनेके बावजूद भाजपाका कांग्रेस-भय इसी कारण बना हुआ है।

आत्मबोध

आध्यात्मिक ज्ञान

यदि मनुष्य शारीरिक वासनाओंकी पूर्तिमें ही अपनी समस्त मानसिक शक्ति खर्च कर दे तो भला बताओ उसमें और पशुमें अंतर ही क्या है? भक्ति एक उच्चतर वस्तु है, स्वर्गकी कामनासे भी ऊंची। स्वर्गका अर्थ असलमें है क्या? तीव्रतम भोगका एक स्थान। वह ईश्वर कैसे हो सकती है? केवल मूर्ख ही इंद्रिय सुखोंके पीछे दौड़ते हैं। इंद्रियोंमें रहना सरल है, खाते-पीते और मौज उड़ाते हुए पुराने ढर्रेमें चलते रहना सरल है, किन्तु आजकलके दार्शनिक तुम्हें जो बतलाना चाहते हैं, वह यह है मौज उड़ाओ, किन्तु उसपर केवल धर्मकी छापा लगा दो। इस प्रकारका सिद्धांत बड़ा खतरनाक है। इंद्रियोंमें ही मृत्यु है। आत्माके स्तरपर जीवन ही सच्च जीवन है, अन्य सब स्तरोंका जीवन मृत्युस्वरूप है। यह संपूर्ण जीवन एक व्यायाम शाला है। यदि हम सच्चे जीवनका आनन्द लेना चाहते हैं तो हमें इस जीवनके परे जाना होगा। जबतक 'मुझे मत-छू-वाद' तुम्हारा धर्म है और रसोईकी पतीली तुम्हारा इष्टदेव है, तबतक तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। धर्म, धर्मके बीच जो क्षुद्र मतभेद हैं, वह सब केवल शब्दिक हैं, उनमें कोई अर्थ नहीं। हर एक सोचता है, यह मेरा मौलिक विचार है और अपने मनके अनुसार ही सब काम करना चाहता है। इसीसे संघर्षोंकी उत्पति होती है। दूसरोंकी आलोचना करनेमें हम सदा यह मूर्खता करते हैं कि किसी एक विशेष गुणको हम अपने जीवनका सर्वस्व समझ लेते हैं और उसीको मापदंड मानकर दूसरोंके दोषोंको खोजने लगते हैं। इस प्रकार दूसरोंको पहचाननेमें हम भूलें कर बैठते हैं। इसमें संदेह नहीं कि कट्टरता और धर्मांधता द्वारा किसी धर्मका प्रचार बड़ी जल्दी किया जा सकता है, किन्तु नींव उसी धर्मकी दृढ़ होती है, जो हर एकको विचारकी स्वतंत्रता देता है और इस तरह उसे उच्चतर मार्गपर आरूढ़ कर देता है, भले ही इससे धर्मका प्रचार शनैः शनैः हो। भारतको पहले आध्यात्मिक विचारोंसे आप्लावित कर दो, फिर अन्य विचार अपने आप ही आ जायंगे। आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञानका दान सर्वोत्तम दान है, क्योंकि यह हमें संसारके आवागमनसे मुक्त कर देता है, इसके बाद है लौकिक ज्ञानका दान, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञानके लिए हमारी आंखें खोल देता है, इसके बाद आता है जीवन दान और चतुर्थ है अन्नदान। यदि साधना करते-करते शरीरपात भी हो जाय तो होने दो, इससे क्या? सर्वदा साधुओंकी संगतिमें रहते-रहते समय आनेपर आत्मज्ञान होगा ही। एक ऐसा भी समय आता है, जब मनुष्यकी समझमें यह बात आ जाती है कि किसी दूसरे आदमीके लिए चिलम भरकर उसकी सेवा करना लाखों बारके ध्यानसे कहीं बढ़कर है। जो व्यक्ति ठीक-ठीक चिलम भर सकता है, वह ध्यान भी ठीक तरहसे कर सकता है। देवतागण और कोई नहीं, उच्च अवस्था प्राप्त दिवंगत मानव हैं। हमें उनसे सहायता मिल सकती है। हर कोई आचार्य या गुरु नहीं हो सकता, किंतु मुक्त बहुतसे लोग हो सकते हैं। मुक्त पुरुषको यह जगत स्वप्नवत जान पड़ता है, किन्तु आचार्यको मानो स्वप्न और जाग्रत, इन दोनों अवस्थाओंके बीच खड़ा होना पड़ता है। उसे यह ज्ञान रखना ही पड़ता है कि जगत सत्य है, अन्यथा वह शिक्षा क्यों कर देगा?

चीन में खौफ के साये में जीवन व्यतीत करते मुस्लिम

❑ अभिजीत मोहन

चीनमें धार्मिक स्वतंत्रता संकटमें है और विभिन्न धर्मावलंबियोंके धार्मिक क्रियाकलापोंपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिकी विदेशमंत्रीने स्पष्ट कहा है कि चीन द्वारा उइगर मुसलमानों और तिब्बती बौद्धोंकी धार्मिक स्वतंत्रताका दमन किया जा रहा है जो कि मौलिक मानवाधिकारोंका उल्लंघन है। अमेरिकी विदेशमंत्रीने यह टिप्पणी ऐसे वक्तमें की जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय धार्मिक स्वतंत्रताके मसलेपर तीन दिवसीय सम्मेलनको आहुत किया। सचाई भी है कि चीन अपनी सुरक्षा एवं संप्रभुताके नामपर गैर धर्मावलंबियोंके साथ सख्तीसे पेश आ रहा है। निःसंदेह चीनको अधिकार है कि वह दुनियाभरमें इस्लामिक आतंकके कहरसे स्वयंको सुरक्षित रखनेके लिए ठोस कदम उठाये। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह लोगोंकी धार्मिक आजादीपर ही पाबंदी थोप दे। चीन चाहे जो भी सफाई दे लेकिन यह सत्य है कि अपने मुस्लिम बाहुल्य प्रांतोंमें ऐसा ही अत्याचार कर रहा है। छोटा मक्का कहे जानेवाले पश्चिमी चीनके मुस्लिम बाहुल्य राज्य लिक्शियामें तो खौफका माहौल है। अब यहांके बच्चे पहलेकी तरह न तो मदरसोंमें जाते हैं और न ही मस्जिदोंमें नमाजके वक्त लोगोंका हुजुम दिखता है। दरअसल चीनकी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीने यहांके १६ वर्षके कम उम्रके बच्चोंको धार्मिक गतिविधियोंमें शिरकत करनेपर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदीसे मुस्लिम समुदायको अपनी धार्मिक मान्यताओंके अनुकूल आचरण करना कठिन हो गया है। गौर करें तो यह स्थिति सिर्फ लिक्शिया प्रांततक ही सीमित नहीं है। चीनके अन्य मुस्लिम बहुल प्रांतोमें भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। चीनकी सरकारने इन प्रांतोंमें धार्मिक शिक्षापर रोक लगा दी है। जिन मस्जिदोंमें कभी हजारों बच्चे कुरान पढ़नेके लिए आते थे, अब वहां उनका प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। बच्चोंके परिजनोंको भी हिदायत दी गयी है कि वह बच्चोंको मस्जिदोंमें कुरान पढ़नेके लिए न भेजें क्योंकि इससे वह धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रमोंपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहांके स्थानीय प्रशासनने उन छात्रोंकी तादाद घटा दी है, जिन्हें १६ सालसे अधिक उम्रके चलते मस्जिदोंमें पढ़नेकी अनुमति मिली हुई है। मस्जिदोंमें नियुक्त किये जानेवाले नये इमामोंके लिए प्रमाणपत्र हासिल करनेकी प्रक्रियाको भी सीमित कर दिया गया है। चीनकी कम्युनिस्ट सरकार शिनजियांग प्रांतमें और भी अधिक कठोरतासे पेश आ रही है। यहांके रहनेवाले उइगर समुदायके लोगोंको शिक्षा शिविरोंमें डाल दिया गया है जहां उन्हें कुरान पढ़ने या दाढ़ी रखनेकी सख्त मनाही है। उल्लेखनीय है कि इस वर्षके जनवरी माहमें ही चीनकी सरकारने यहांके मुस्लिमोंको चेतावनी दी कि वह नाबालिगोंको कुरान पढ़नेके लिए या धार्मिक गतिविधयोंमें भाग लेनेके लिए मस्जिदोंमें न जाने दें और न ही इसका समर्थन करें। यदि वह ऐसा करते हैं तो उन्हें दंड भुगतना होगा। सरकारके इस रवैयेसे यहां रह रहे मुसलमानोंके मनमें इन प्रतिबंधोंसे यह धारणा पनपने लगी है कि सरकार उनकी रीति-रिवाज और परम्पाओंको खत्म करनेपर आमादा है। उन्हें लग रहा है कि सरकार १९६६ का माहौल निर्मित करना चाहती है, जिस दौरान मस्जिदोंको ढहा दिया गया था फिर जानवरोंको रखनेकी जगहके रूप तब्दील कर दिया गया था।

चीनकी सरकारने यहांके मस्जिदोंपर राष्ट्रीय झंडा लगाना अनिवार्य कर दिया है और ध्वनि प्रदूषणकी आड़में इन मस्जिदोंके इमामोंको चेताया है कि वह नमाजके लिए माइकके जरिये लोगोंको बुलावा न भेंजे। साथ ही मुस्लिम बहुलराज्योंके तकरीबन सभी मस्जिदोंसे लाउडस्पीकरोंको हटा दिया गया है। जब दुनियाभरके मुसलमान रमजान महीनेमें रोजा रखते हैं तब यहांकी सरकार शिनजियांग, निंगश्यांग, गुआंग्शी, कानसू, छिंगहाई और यूननान प्रांतमें बसे मुसलमानोंके रोजापर पाबंदी लगाती है। इतिहासमें जायं तो चीनमें इस्लामका प्रवेश आठवीं सदीके मध्यमें अरबसे हुआ। आजकी तारीखमें यहां मुसलमानोंकी तादाद दो करोड़से अधिक है। इनमें सर्वाधिक सुन्नी हैं, जिनमें ह्वुई, उईगुर, तातार, किरगिज, कजाख, उजबेग, तुंगश्यांग, साला और पाओ-आन इत्यादि प्रमुख हैं। लेकिन चीनके मुसलमानोंके लिए विडंबना यह है कि कुछ इस्लामिक आतंकी समूह शिनजियांगको इस्लामिक राष्ट्र बनानेका ऐलान कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। उसीका नतीजा है कि चीनकी सरकार अन्य मुसलमानोंका भी दमन कर रही है। दरअसल विगत वर्षोंमें चीनमें कई आतंकी घटनाएं हुई हैं जिनमें कट्टरपंथी मुस्लिम संघटनोंका हाथ रहा है। २०१५ में चीनके दक्षिणी हिस्से गुआंग्शी स्वायतशासी क्षेत्रमें डेढ़ दर्जन लेटर बम धमाके हुए थे। इस धमाकेमें तकरीबन आधा दर्जन लोगोंकी मौत हुई थी और पांच दर्जनसे अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए थे। आतंकी संघटनोंने बेहद सुनियोजित तरीकेसे विस्फोटकोंको एक्सप्रेस डिलिवरीके पैकेजोंके जरिये मॉल, जेल कैंपस, काउंटीके गवर्नमेंट ऑफिस, सुपरमार्केट, ट्रांसपोर्ट स्टेशन, अस्पताल और सब्जी बाजार जैसे भीड़भाड़वाले इलाकेको निशाना बनाया था। सरकारने जांचमें पाया कि यह कृत्य अतिवादी इस्लामिक कट्टरपंथियोंका है जिनमें शिंजियांग प्रांतके उइगर मुस्लिम युवा भी शामिल हैं। चीन उईगर मुसलमानोंकी निष्ठाको लेकर तबसे सशंकित है जब चीनमें ओलंपिक हुआ था और उस समय उइगर समुदायके १२२ विद्रोहियोंने खुलेआम विरोध किया था। नतीजा ओलंपिक समाप्त होनेके बाद चीनकी सरकारने सभी विद्रोहियोंको गोलियोंसे भून दिया। चूंकि इस्लामिक आतंकी संघटन पहले ही शिनजियांग प्रांतको इस्लामिक राष्ट्र बनानेका आह्वन कर चुके हैं ऐसेमें चीन एक रणनीतिके तरत उइगर मुसलमानोंके खिलाफ काम कर रहा है। शिंजियांग प्रांतकी बात करें तो यह प्रांत प्रारंभसे ही संवेदनशील रहा है। यहां ४० से ५० फीसदी आबादी उइगर मुसलमानोंकी है जिसे काबूमें करनेके लिए वह एक रणनीतिके तहत यहां हान वंशीय चीनियोंको बड़ी संख्यामें बसाना शुरू कर दिया है। नतीजा उइगर मुसलमानोंकी संख्या सिकुड़ने लगी है। वह चीनी हान वंशियोंकी आबादीके आगे अल्पसंख्यक बनकर रह गये हैं। चीनी साम्यवादी सरकारको उइगर मुसलमानोंकी मांग नाजायज ही नहीं, बल्कि उसे असहज भी करती है। उसे इस मांगमें आतंकियोंकी साजिश नजर आती है। उइगर मुसलमानोंको बड़े पैमानेपर उन इस्लामिक आतंकवादियोंका समर्थन मिल रहा है जो पाकिस्तान द्वारा पोषित हैं। गत वर्ष पहले शिनजियांग प्रांतमें भीषण आतंकी घटनामें दो दर्जनसे अधिक लोगोंकी जान गयी थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। जांचमें पाया गया कि इसमें पाकिस्तान प्रशिक्षित ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुवमेंटके आतंकियोंका हाथ है तथा इन आतंकियोंको पाकिस्तानमें विस्फोटक बनाने और हथियार चलानेका प्रशिक्षण दिया गया था। इस घटनाके बाद माना गया कि चीन पाकिस्तानपर नकेल कसेगा। लेकिन उसने पाकिस्तानके विरुद्ध कोई काररवाई नहीं की। अब भी वह पाकिस्तानकी आतंकी हरकतोंपर आंख बंद किये हुए है। उचित होगा कि चीन पाकिस्तानपर दबाव बनाये कि वह आतंकी संघटनोंको प्रश्रय देना बंद करे।